



भारत सरकार  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय  
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)  
Ministry of Environment, Forest and Climate Change  
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024


Kendriya Bhawan, 5<sup>th</sup> Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025  
Email: (Env.) m\_env@rediffmail.com, (Forest) goimcoefrolko@gmail.com

पत्र सं० 8बी/06/40/2016/एफ0सी0 1127

दिनांक : 07/7/17

सेवा में,

विशेष सचिव (वन),  
उत्तर प्रदेश शासन,  
बापू भवन, लखनऊ।



विषय: जनपद हाथरस में पीलीभीत-भरतपुर मार्ग (एस0एच0-33) किमी0 219 से 220 के मध्य बांयी पट्टी पर ग्राम-हाथरस देहात के खसरा संख्या-176 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.02775 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 2884/14-2-2016-800 (36)/2016, दिनांक- 05.06.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। विषयांकित प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 13.05.2016 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालना आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना प्रस्तुत करें ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की .kml file polyline format में दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वन भूमि की .kml file polygon format में प्रस्तुत की जाए। प्रस्तावित वन भूमि के भूसंदर्भित मानचित्र में curved portion के Geo Coordinates नहीं दिये गये हैं। GIS DSS Analysis के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि का कुछ भाग विद्यमान मार्ग में आ रहा है, स्पष्ट करें। प्रस्तावित रिटेल आउटलेट का प्रवेश एवं निकास मार्ग का ले आउट प्लान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मानकों के अनुसार है या नहीं, स्पष्ट करें।
5. प्रस्तुत की गयी अनुपालना आख्या में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अलग अलग दस्तावेजों में प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम एवं दिनांक अंकित नहीं है। अतः अनुपालन आख्या से संबंधित दस्तावेज प्राधिकृत हस्ताक्षरी के नाम, मोहर एवं दिनांक सहित प्रस्तुत करें।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)  
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

19/7/17